| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज |
|---|---|
| | जाये। पत्रावली पूर्व नियत तारीख पेशी दिनांक 21-10-2020 को पेश हो। |

<u>21-10-2020</u> पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्ष उप०। प्रा० पत्र O. 1, R. 10 CPC पर बहस वकुलाय उभय पक्ष सुनी गई। चूंकि प्रा० पत्र O. 1, R. 10 CPC प्रकरण में वर्णित आवेदक प्रकरण में हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार है। अत: प्रा० पत्र O. 1, R. 10 CPC स्वीकार किया जाकर आवेदकगण को प्रकरण में अप्रार्थी पक्षकार बनाये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। वकील प्रार्थीगण ने प्रकरण में संशोधित शीर्षक पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सं० 8/1 ता 8/8 की ओर से श्री रामेश्वरलाल तेतरवाल एड० ने इकबाली जवाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सं० 7, 9, 10 की ओर से भी श्री रामेश्वरलाल तेतरवाल एड० ने इकबाली जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी 4 व 5 की तामील सम्यक रूप से होकर लौटी है। बावजूद सम्यक तामील उक्त अप्रार्थीगण की ओर से कोई हाजिर अदालत नही आया है। अत: अप्रार्थी सं० 4 व 5 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

प्रकरण में तहसीलदार खण्डेला से रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई।

प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकुलाय उभय पक्ष ने राजीनामा व रिपोर्ट तहसीलदार खण्डेला मुताबिक रास्ता कायम आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, राजीनामा, इकबाली जवाब व तहसीलदार खण्डेला की रिपोर्ट

उपखण्ड अधिकारी * खण्डेला (सीकर) * सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

Scanned by CamScanner

अवलोकन किया गया। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने बाबत अप्रार्थीगण द्वारा इक-बाली जवाब/राजीनामा पेश किया है साथ ही तहसीलदार खण्डेला ने भी अपनी रिपोर्ट में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ते को ही प्रार्थीगण की कृषि जोत में आवागमन हेतु निकटतम एवं लघुतम रास्ता बताया है तथा उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता वैकल्पिक रूप से नहीं बताया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि :—

## निर्णय

तन ग्राम नेहरों की ढाणी प० ह० रोयल तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज०) अवस्थित कृषि भूमि ख० नं० २२४ में आवागमन हेतु ख०नं० २५० की पश्चिमी सीमा के सहारे - सहारे होता हुआ ख० नं० २२५/3 की पश्चिमी सीमा के सहारे - सहारे होता हुआ ख० नं० २२५/2 की पश्चिमी सीमा के सहारे - सहारे ख० नं० २२४ में प्रवेश होने तक 04 मीटर चौड़ा रास्ता दक्षिणी से उत्तरी तरफ लम्बाई में कुल 0.0692 है० भूमि को गै० मु० रास्ता (सिवायचक) दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। उक्त रास्ता पूर्णतः सार्वजनिक उपयोग - उपभोग में रहेगा। उक्त रास्ता पेटे आई भूमि के बदले प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से अप्रार्थीगण के भूमि मुताबिक राजीनामा राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे। राजीनामा व तहसीलदार खण्डेला की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। उक्तानुसार रास्ते पेटे आई भूमि के बदले मुताबिक राजीनामा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज करने के उपरान्त तहसीलदार खण्डेला उक्तानुसार गै० मु० सिवायचक (सार्वजनिक)

(हस्ताक्षर) 21/X/2020
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज | नम्बर व अहकाम हुक्म की जारी हुई

खाता दर्ज किया जावे। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार खण्डेला को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 21-10-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा सहित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार) RAS
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी * खण्डेला (सीकर) * सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner